बिहार सरकार
बिहार भू–अर्जन पुनःस्थापन एवं पुनर्वास नीति – 2007

संकल्प

परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकार भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत भूमि अर्जन करती रही है। अर्जित की जा रही भूमि के मूल्य का निर्धारण एवं अधिग्रहण से विस्थापित होने वाले परिवारों को अतिरिक्त सुविधा दिये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन रहा है।

सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत देय सुविधाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित सुविधा देने का निर्णय लिया है :–

1. <u>भूमि का मूल्य निर्धारण</u>

1.1 समाहर्त्ता अर्जित की जाने वाली भूमि के बाजार मूल्य के आकलन तथा निर्धारण के लिए निम्नांकित कसौटी अपनाएगा :–

(i) जहाँ भूमि अवस्थित हो वहाँ केवाला दस्तावेजों के निबंधन के लिए भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 में उपबंधित न्यूनतम भूमि मूल्य; अथवा,

(ii) संबंधित मौजे या निकटवर्त्ती मौजों में समरूप प्रकार की भूमि का औसत बिक्री मूल्य जो विगत तीन वर्षों के दौरान निबंधित कम–से–कम 50% वैसे केवाला दस्तावेजों से विनिश्चित किया गया हो, जहाँ उच्चतर मूल्य का भुगतान किया गया हो; अथवा,

(iii) भू–अर्जन अधिनियम– 1894 की धारा– 3(f)(iii) के अनुसार परियोजना के लिए उच्चतर दर पर अधिग्रहित की गई अथवा, अधिग्रहण हेतु सहमति दी गई कम–से–कम 50% भूमि के बिक्री मूल्य का औसत,

जो भी उच्चतर हो।"

सरकार का निर्णय है कि इस मूल्य पर 50% जोड़कर अर्जित की जाने वाली भूमि का मूल्य तय किया जायेगा।

1.2 इस तरह निर्धारित मूल्य पर 30 प्रतिशत सोलेशियम देकर भू–अर्जन किया जायेगा। लेकिन जहाँ भूधारी स्वेच्छा से भूमि देना चाहे, उस स्थिति में सोलेशियम की दर 60 प्रतिशत होगी।

<u>उदाहरण:–</u>

i.) <u>नई नीति लागू होने के पूर्व दर निर्धारण की प्रकिया</u> :–

भूमि का दर 1.00 लाख रूपये प्रति एकड़ है तो देय राशि = 1.00 लाख रूपये एवं 30 प्रतिशत सोलेशियम यानि 30 हजार रूपये, कुल 1,30,000/– (एक लाख तीस हजार रूपये) देय था।

ii.) <u>नई नीति लागू होने के पश्चात् दर का निर्धारण</u> :–

(क.) <u>सामान्य प्रकिया</u> :–

भूमि का दर 1.00 लाख रूपये प्रति एकड़ है तो देय राशि = 1.00 लाख रूपया पर 50 प्रतिशत राशि जोड़ी जाएगी यानि अब कुल राशि 1,50,000/– रूपये होगा। सामान्य स्थिति में 1,50,000/– रूपये पर 30 प्रतिशत सोलेशियम यानि 45 हजार रूपये, कुल 1,95,000/– (एक लाख पंचानवे हजार रूपये) देय होगा। इस प्रकार पूर्व में जहाँ 1,30,000/– रूपये की राशि देय होती, अब 1,95,000/– रूपये की राशि देय होगी।

(ख.) स्वेच्छा से भूमि देने पर :-

भूमि का दर 1.00 लाख रूपये प्रति एकड़ है तो देय राशि = 1.00 लाख रूपया प्र प्रतिशत राशि जोड़ दी जाएगी, यानि अब कुल राशि 1,50,000/- रूपये होगा। भूधारी द्वारा स्वे से भूमि देने पर 1,50,000/- रूपये पर 60 प्रतिशत सोलेशियम यानि 90,000/- हजार रूपये, 2,40,000/- (दो लाख चालिस हजार रूपये) देय होगा। इस प्रकार पूर्व में जहाँ 1,30,000/ रूपये की राशि देय होती, अब स्वेच्छा से भूमि देने की स्थिति में 2,40,000/- रूपये देय होगा।

2. आवासीय भूमि का अधिग्रहण देयता :

2.1 भू-अर्जन की प्रक्रिया के अंतर्गत यदि किसी भूधारी का आवास या आवासीय भूमि अधिग्रहित कि जाता है तो आवासीय भूमि का जितना रकवा अधिग्रहित किया जाता है, उतनी ही भूमि, अधिकतम डि0 आवासीय उद्देश्य हेतु अधिग्रहित कर उस व्यक्ति को दी जायेगी।

2.2 अस्थायी आवास हेतु सहायता :- प्रत्येक भूधारी जिसकी आवासीय भूमि अधिग्रहित की गयी को अस्थायी आवास हेतु 10,000/-(दस हजार रूपये) एकमुश्त सहायता स्वरूप दी जायेगी।

2.3 परिवहन सहायता :- जिस भूधारी का आवासीय स्थल अधिग्रहित किया गया है उसे मौ 5,000/- (पाँच हजार रूपये) अपने आवासीय सामग्रियों के परिवहन हेतु सहायता स्वरूप दिय जाएगा।

3. विस्थापित कृषक मजदूर को देयता :-

3.1 विस्थापित कृषक मजदूर जो दूसरे भूधारी के कृषि योग्य भूमि जिसका अधिग्रहण किया गया है, पर विगत कम से कम 3 वर्षों से कार्य कर जीविका चलाते थे और बेरोजगार हो गये उन्हें 200 दिनों का सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी एकमुस्त एवं राष्ट्रीय/राजकीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जॉब कार्ड देय होगा।

4. भू-अर्जन एवं पुनर्वास हेतु अधियाची प्राधिकार द्वारा देय राशि :-

4.1. भू-अर्जन अधिनियम के तहत देय राशि के अतिरिक्त पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास लाभों पर होने वाले समस्त व्यय का वहन संबंधित अधियाची प्राधिकार के द्वारा किया जायेगा। यह राशि अधियाची प्राधिकार समाहर्त्ता की मांग पर उन्हें उपलब्ध करायेगा।

4.2 अधियाची प्राधिकार भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत देय स्थापना खर्च के अतिरिक्त परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि के प्राक्कलित मूल्य का 0.5 प्रतिशत राशि, जो अधिकतम 2 लाख रूपये होगा, पुनर्वास सर्वेक्षण, अनुश्रवण, Stationery, POL, एवं अन्य आकस्मिक खर्च यथा वाहन, Computer, Computer Operator, Amin, Draftsman, Chainman इत्यादि के Outsourcing हेतु बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से समाहर्त्ता -सह- प्रशासक, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास उपलब्ध करायेगा। समाहर्त्ता इस राशि को एक राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता में रखेंगें एवं बचत खाता से प्राप्त होने वाले ब्याज को भी आकस्मिकता के मद में खर्च कर सकेगें। बचत खाता समाहर्त्ता एवं अपर समाहर्त्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के संयुक्त नाम से होगा और संयुक्त हस्ताक्षर से राशि की निकासी की जायेगी।

5. उपरोक्त प्रावधान भू-अर्जन के ऐसे सभी मामलों में भी लागू होंगे जिन मामलों में धारा 11 के अन्तर्गत पंचाट घोषित नहीं किया गया है ।

राज्य सरकार समय-समय पर इस नीति के कार्यान्वयन का आकलन करेगी और आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकेगी।

6. विभागीय संकल्प संख्या 15/डी0एल0ए0 नीति (पुनर्वास) 07/06- 395/रा0, दिनांक 19.02.07 की कंडिका संख्या-1.1 को इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष कंडिकाएं यथावत् लागू रहेंगी।

7. यह आदेश दिनांक 19.02.07 से ही प्रभावी ...

आदेश :— एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का विस्तृत प्रचार–प्रसार करते हुए इसकी प्रति बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशित की जाय और सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों के बीच प्रचारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

13/5/08

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 15/डी. एल. ए. नीति (पुनर्वास) 07/06 747/रा0 दिनांक – 13.5.08

प्रतिलिपि:-- अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसका प्रकाशन बिहार गजट के आगामी अंक में करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ शीघ्र भेज दी जाय।

13/5/08

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 15/डी. एल. ए. नीति (पुनर्वास) 07/06 – 747/रा0 दिनांक – 13.5.08

प्रतिलिपि:—

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी विभागीय सचिव/सभी आयुक्त एवं सचिव/विभागाध्यक्षों बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
4. आप्त सचिव, मा0 मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/सभी अपर समाहर्त्ता/निदेशक, विशेष भू–अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग/सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी/सभी विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

   समाहर्त्ताओं से अनुरोध है कि इस संकल्प की सूचना अपने स्तर उनके क्षेत्र में चल रहे परियोजनाओं से संबंधित अधियाची विभाग के पदाधिकारियों को दे दी जाय।
7. उप सचिव–सह–प्रभारी, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा कोषांग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना।

13/5/08

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव।